



Department of Tourism, Government of Bihar

(BIHAR STATE TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD)
A Govt of Bihar Undertaking



सं0सं0-319 / 23 / टी0टी0 / 527 / 25

दिनांक-19.02.2025

आमंत्रण सूचना

बिहार दिवस – 2025 के अवसर पर गाँधी मैदान, पटना में व्यंजन मेला के आयोजन हेतु अनुभवी प्रतिष्ठित केटरर/संस्था/उद्यमी से प्रस्ताव का आमंत्रण।

दिनांक 22 मार्च 2025 से 24 मार्च 2025 तक गाँधी मैदान, पटना में व्यंजन मेला 2025 का आयोजन किया जाना है। निगम के द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से निर्वाह विद्युत व्यवस्था, पावर प्वांट, डस्टबीन, सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल, हाउस किपिंग इत्यादि की व्यवस्था की जानी है। स्टॉल का सम्भावित आकार 15 फीट x 10 फीट निर्धारित है। इच्छुक लब्ध प्रतिष्ठित केटरर/संस्था बिहार एवं अन्य प्रदेशों के सुप्रसिद्ध व्यंजन का निर्माण एवं उनका बिक्री करने के लिये निःशुल्क आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं। पर उन्हें सुरक्षित जमा के मद में राशि 5000/- (पाँच हजार) प्रति स्टॉल एवं आवेदन प्रपत्र का शुल्क राशि 1000/- (एक हजार) रू. निर्धारित है।

इससे संबंधित नियमावली ट्रैवल एंड ट्रेड शाखा, होटल कौटिल्य विहार, पटना से निर्धारित कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक 17.03.2025 के अपराह्न 04:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग प्रस्ताव दिया जाना है। आवेदन प्रपत्र एवं नियमावली निगम के वेबसाइट www.bstdc.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। सभी आवेदन प्रपत्र का शुल्क नगद एवं सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से भुगतये बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के नाम से भुगतये होगा। विशेष जानकारी हेतु श्री सुमन कुमार, प्रबंधक ट्रैवल एण्ड ट्रेड, मो0-8544418314 एवं नागेन्द्र कुमार मोबाईल न0 8294307690 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।

ह०/-
महाप्रबंधक

नियमावली

आवेदन निर्धारित प्रपत्र (इस नियमावली के साथ संलग्न) में भरकर मुहरबन्द लिफाफे में समर्पित किया जाना है। जिस व्यंजन हेतु आवेदन दिया जा रहा है, उसका नाम स्पष्ट रूप से लिफाफा पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के नाम से दिया जाना है। प्रत्येक आवंटित दुकान में फ्लैक्स, साईनबोर्ड से सजाने, संबंधित व्यंजन का चित्र एवं दर तालिका लगाने का कार्य निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्रत्येक स्टॉल में "बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन" व्यंजन मेला 2025 एवं निर्धारित थीम के साथ लिखा जायेगा। सफल आवेदक के द्वारा रू० 5,000/- (पाँच हजार रूपये) जमानत राशि के तौर पर जमा करना होगा जो व्यंजन मेला के समापन के उपरांत बिना किसी ब्याज के नियमावली में निहित कंडिका में वर्णित प्रावधान के अनुसार वापस कर दिया जायेगा। नियमावली निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

1. व्यंजन मेला में खाने-पीने की व्यवस्था में सरकार द्वारा फुड लाईसेंस/FSSAI इत्यादि के निर्धारित मापदंड का अक्षरशतः अनुपालन करते हुए उच्च गुणवत्ता के खाद्य-सामग्री, विपणन बिल्कुल साफ-सुथरे एवं हाईजेनिक कंडीशन में होगा। खाद्य-सामग्री सर्व करने वाले व्यक्ति सर्व करने के समय फेस मास्क, उच्च गुणवत्ता के ग्लब्स तथा इसके निर्माण में संलग्न कुक/सेफ, कैप, एपरन एवं साफ वर्दी में रहेंगे। सभी खाद्य सामग्री को निश्चित रूप से ढककर रखा जाना है ताकि मच्छर, मक्खी, कीट, इत्यादि इसे दूषित नहीं कर सकें।
2. (क) पटना में आयोजित होनेवाले व्यंजन मेला में आवेदक बिहार एवं अन्य राज्यों के प्रतिष्ठित खाद्य सामग्री का ही स्टॉल लगायेंगे। स्टॉल प्रतिष्ठित ब्रांडेड संस्था/केटरर को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
(ख) व्यंजन मेला में आवेदक/उद्यमी द्वारा व्यंजनों का निर्माण यथा संभव स्टॉल में किया जायेगा। प्रत्येक स्टॉल में निर्माण किये जानेवाले व्यंजनों का प्रकार आवेदक/उद्यमी द्वारा आवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
(ग) स्टॉल का आवंटन बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के द्वारा तय किया जायेगा।
3. किसी भी परिस्थिति में Stale Food आवंटी द्वारा सर्व नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर उनके द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी, तथा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
4. आवंटनधारियों को आवंटित कार्यस्थल यथा स्थिति में वापस की जायेगी।
5. आवंटी को उच्चस्तरीय केटरिंग कार्य का सफलता पूर्वक कार्य कराने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इससे संबंधित सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. व्यंजन मेला में लगाने वाले फर्म का अद्यतन वार्षिक कारोबार विगत 03 वर्षों का औसतन कम से कम एक लाख रूपया का अनिवार्य है, इससे संबंधित प्रमाण आवेदन के साथ समर्पित करना आवश्यक होगा।
7. आवंटी अपने कार्यस्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे। ऐसा पाया जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
8. आवंटी द्वारा आवश्यक उपकरणों, फर्नीचरों, बर्तन, क्रॉकरी आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर की जायेगी।
9. आवंटी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार-पटल पर्यटन निगम के अनुमोदन के पश्चात् लगाना होगा। आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जगह पर कब्जा नहीं किया जायेगा।
10. आवंटी द्वारा आवंटित सम्पदा के आन्तरिक जल निकासी, पानी का पाईप, बिजली के तारों एवं अन्य सिवरेज की व्यवस्था अपने खर्च पर ठीक रखना सुनिश्चित करेंगे। कार्यस्थल एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखेंगे। प्रत्येक स्टॉल पर आवेदक द्वारा कम से कम दो बड़ा डस्टवीन रखा जायेगा। अपने दूकान के सामने वाले भाग को हमेशा स्वच्छ रखा जायेगा। सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख-रखाव का कार्य आवंटित धारी को अपने खर्च पर किया जायेगा।
11. प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवंटी द्वारा किये जा रहे कार्य, पकवान आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।
12. आवंटी द्वारा कार्यस्थल में सफाई, स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं आवंटी द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य-सामग्री इत्यादि की सुविधा उचित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी एवं आगन्तुकों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्विस की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
13. आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् यदि समयानुसार कार्य नहीं की जाती है तो आवंटी द्वारा जमा सुरक्षित जमा राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।
14. आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा आवेदन-पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवंटी द्वारा अस्वीकार करते हैं या कोई शर्त रखते हैं तो वह मान्य नहीं होगा और उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि जब्त समझी जायेगी।
15. खाद्य एवं श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का आवंटी पूर्णरूपेण पालन करेंगे। इस संदर्भ में सभी प्रकार की जवाबदेही आवंटी की होगी।
16. सुरक्षित राशि की वापसी बिना किसी सूद के यदि किसी सामग्री की क्षति पहुँचायी गयी हो तो क्षति के विरुद्ध समतुल्य राशि के समायोजन के पश्चात् लौटाई जायेगी।
17. आवंटित को ज्वलनशील पदार्थ के उपयोग के लिए अग्निशमन नियमों का पालन कड़ाई से करना होगा।

18. आवंटित को आवंटित क्षेत्र में जल जमाव एवं कीचड़ नहीं होने देना होगा। इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा। ऐसा करने पर इनकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. बिहार में नशाबंदी पूर्णरूपेण लागू है। अतः किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का उपयोग क्रय, विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर कठोर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
20. सभी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच फुड इंस्पेक्टर द्वारा किया जायेगा। आवंटी धारी को खाद्य सामग्री तैयार/ बेचने के पूर्व आवश्यक रूप से प्रमाण पत्र फुड इंस्पेक्टर से प्राप्त करने होंगे।
21. आवंटित धारी द्वारा आचरण प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
22. एकल प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
23. सक्षम पदाधिकारी से आवंटन आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही व्यंजन मेला में निर्धारित स्थल पर स्टॉल लगायेगे।

ह०/—
महाप्रबंधक

दिनांक 22 मार्च से 24 मार्च 2025 तक गाँधी मैदान, पटना में व्यंजन मेला 2025 का आयोजन हेतु

प्रस्ताव का प्रपत्र:-

1. आवेदक/उद्यमी का नाम :-
2. व्यंजन का नाम :-
3. वर्तमान पता :-
(मोबाईल न. एवं ई-मेल आई.डी. के साथ)
4. स्थायी पता :-
(मोबाईल न. एवं ई-मेल आई.डी. के साथ)
4. रेस्तराँ/कैफेटेरिया/होटल/कैन्टीन आदि के संचालन के संबंध में अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।
5. अर्नेस्ट मनी की राशि रू0 5000/- प्रति दुकान से संबंधित बैंक ड्राफ्ट/चेक बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, के नाम से भुगतये होगा की मूल प्रति।
6. आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख अभिप्रमाणित कर शामिल किया जाना है-

क-अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र

ख-तीन वर्षों का कारोबार से संबंधित टर्न ओवर/आधार कार्ड/पैन कार्ड/फुड लाईसेंस की छाया प्रति।

आवेदक/उद्यमी का अन्डरटैकिंग

- मेरे द्वारा नियमावली एवं अन्य नियम एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ने/समझने के उपरांत यह आवेदन-पत्र दिया जा रहा है। निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तों के अनुसार आवंटित इकाई का संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गए सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण-पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हें गलत पाये जाने पर निगम यथोचित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक/उद्यमी का हस्ताक्षर